न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरा नं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2023/566
मिसल नम्बर–74 / 2023

1.चौथमल पुत्र स्व0 श्री रामनारायण आयु लगभग 65 वर्ष
2.अमर लाल पुत्र श्री डालूराम आयु लगभग 60 वर्ष
3.छोटी बाई पुत्री स्व0 श्री रामनारायण बालिग निवासीगण गणेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0
4.महेन्द्र पुत्र किशन लाल बालिग निवासी तालेड़ा जिला बूंदी राज0
5.पूरणमल पुत्र रामचन्द्र निवासी गणेशपुरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0

–वादीगण

बनाम

1.हेमंत उर्फ हेमू मेहरा आत्मज श्री कन्हैया लाल जाति मेहर निवासी गली नम्बर 2 मिल वाले बाबा कॉलोनी, रंगपुर रोड़ कोटा जं0
2.सुनील शर्मा आत्मज जितेन्द्र जाति ब्राह्मण
3.पंकज शर्मा आत्मज सुरेन्द्र जाति ब्राह्मण निवासीगण शिव मंदिर के पास, प्रताप कॉलोनी रंगपुर रोड़ कोटा जं0
4.ख्यालीदत्त मठपाल पुत्र श्री मथुरादत्त मठपाल निवासी देवनारायण मंदिर के पास, प्रताप कॉलोनी रंगपुर रोड कोटा जं0
5.नगर विकास न्यास कोटा जरिए सचिव
6.तहसीलदार लाड़पुरा कोटा

–प्रतिवादी

–:निर्णय:–

(राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत् प्रार्थना पत्र।)

दिनांक 28/2/25

उपस्थित–
1.श्री अशोक गुप्ता अभिभाषक वादीगण
2.श्री राम कल्याण शर्मा अभिभाषक प्रतिवादीगण

राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 188 के तहत् वाद–पत्र वादी की ओर से जर्ये अधिवक्ता प्रस्तुत हुआ। वाद–पत्र का अवलोकन किया गया जिसमें निवेदित सक्षेंपित तथ्य इस प्रकार हैं कि वादीगण एवं सह खातेदारान उच्छब लाल पुत्र केसरी लाल, कचनी बाई पत्नी किशन लाल, कमला बाई पत्नी कंवर लाल, केलाश चंद पुत्र केसरी लाल, कस्तूरी बाई पत्नी रामचन्द्र, कांति बाई पुत्री छोटू लाल, किशन लाल पुत्र केसरी लाल, किशनी बाई

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

पुत्री रामनारायण, चन्द्रकला पुत्री कंवर लाल, ज्यानी बाई पुत्री रामनारायण, तारा बाई पुत्री कन्हैया लाल, धन्नी बाई पुत्री छोटू लाल, बसंती बाई पुत्री रामचन्द्र, भीमराज पुत्र रामचन्द्र, मैना बाई पुत्री कन्हैया लाल, मांगी बाई पुत्र कन्हैयालाल, मोती लाल पुत्र केसरी लाल, मोहन लाल पुत्र छोटू लाल, राजेन्द्र प्रसाद पुत्र कन्हैया लाल, राधेश्याम पुत्र किशन लाल, राधाबाई पुत्री छोटू लाल, रामचरण पुत्र डालूराम, ललित पुत्र कंवर लाल, लीला बाई पुत्री कंवर लाल, सुगना बाई पुत्री किशन लाल, संतोष बाई पुत्री डालूराम, संतोष बाई पुत्री छोटू लाल, सुरेन्द्र पुत्र कंवर लाल, सीता बाई पुत्री रामचन्द्र, सोहन लाल पुत्र छोटू लाल की कब्जे एवं स्वामित्व की कृषि आराजियात ग्राम गणेशपुरा, पटवार हल्का डड़वाड़ा, भू. अभि. निरी. लाड़पूरा तहसील लाडपूरा जिला कोटा में स्थत है जिसका खाता संख्या नया 17 व पुराना 19 की खसरा नम्बर 16 की रकबा 0.03 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 46 की रकबा 0.01 हैक्टियर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 47 की रकबा 0.56 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 48 की रकबा 0.42 बारानी द्वितीय कुल किता 4 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर है तथा एक अन्य आराजियात ग्राम भदाना, पटवार हल्का डडवाड़ा, भू. अमि. निरी. लाड़पुरा तहसील लाडपूरा कोटा में भी है जिसका नया खाता संख्या 147 पुराना 133 की खसरा नम्बर 543/41 की रकबा 0.49 नहरी दोयम है जिसमें वादीगण एवं अन्य सभी सहखातेदारान का नियमानूसार अपना–अपना हिस्सा निहित चला आ रहा है। प्रतिवादी क्रम–1 लगायत–4 जो कि प्रॉपर्टी डीलिंग का कार्य करते है एवं इनकी मंशा वादीगण की सम्पत्ति को कब्जे में कर ऊँचे दामों पर बेचान कर राशि प्राप्त करने की रही है चूंकि वादीगण की जमीन वर्तमान में पड़त पड़ी हुई है तथा जमीन में पेड़ पौधे लगा रखे है तथा जमीन में सब्जी व चारा आदि उगाकर सभी खातेदारान अपने परिवार का पालन पोषण करते है। इस कारण प्रतिवादीगण क्रम –1 लगायत–4 ने कई मर्तबा यह भी कहा कि उपरोक्त सम्पत्ति उन्हें बेचान कर दें अन्यथा वह सम्पत्ति में शमशान बना देगें और नगर विकास न्यास कोटा से मिलकर रास्ता निकलवाकर जमीन को समाप्त कर देगें तथा वारदीगण ने ऐसा करने से प्रतिवादीगण को इंकार कर दिया। वादीगण एवं अन्य परिवारजन/सह खातेदारान की उपरोक्त भूमि स्वयं के खाते की है और वादीगण की भुमि पर प्रतिवादीगण को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादीगण को बेदखल कर सम्पत्ति पर शमशान व रोड आदि बनाकर सम्पत्ति को बेकार करें, लेकिन प्रतिवादी क्रम–1 लगायत–4 के द्वारा प्रतिवादी क्रम–5 से मिलिभगत करे वादीगण के खाते की आराजियात ग्राम गणेशपुरा कोटा पर शमशान विकसित करने के आशय से 2 अगस्त 2023 से साफ–सफाई करना प्रारम्भ कर दिया है। वादीगण को जब यह पता लगा तो उन्होने प्रतिवादी क्रम–1 लगायत–4 से इस सम्बंध में ऐतराज किया एव बोला कि वह वादीगण की सम्पत्ति पर क्यों साफ सफाई करवा रहे तो उन्होने कहा कि वह नगर विकास न्यास कोटा से उपरोक्त भूमि में शमशान बंनायेगे जिससे आस– पास के मरने वाले व्यक्तियों का दाह संस्कार किया जा सके। तब वादीगण ने इस पर ऐतराज किया तो प्रतिवादीगण ने यह कहा कि वे उपरोक्त जमीन पर शमशान बनाकर रहेगें तब वादीगण ने इसकी शिकायत नगर विकास न्यास कोटा में की तो उन्होने कोई संतोषप्रद जवाब नहीं दिया तथा वर्तमान में मौके पर जेसीबी से शमशान बनाने हेतु साफ –सफाई करवाई जा रही है तथा इसी जमीन पर लगती हुई भदाना की उपर वर्णित सम्पत्ति पर भी गैर कानूनी रूप से प्रतिवादीगण के द्वारा रोड़ बनाने के आशय से जेसीबी से खुदाई आरम्भ कर दी है एवं वादीगण के द्वारा ऐतराज करने पर प्रतिवादीगण नहीं मान रहे है तथा डे–टू–डे मौके पर कार्य कर रहे है तथा वादीगण के द्वारा 4–5 दिनों पर इस सम्बंध में

उपखण्ड अधिकारी
को..

प्रतिवादी क्रम–6 के यहां भी आवेदन दिया तो उन्होनें सेटलमेट से नाप करवाने हेतु कहा जिस पर वादीगण ने एक आवेदन पुनः प्रतिवादी क्रम–6 को दिया गया तथा साथ ही यह भी कहा कि इस सम्बंध में वह कुछ नहीं कर सकते तथा राजस्व न्यायालय में वाद पेश करके स्थगन आदेश प्राप्त करें। प्रतिवादीगण को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह वादीगण सम्पत्ति पर वादीगण की इजाजत के बिना कोई शमशान बनार्वे तथा रोड़ आदि निकाले, लेकिन प्रतिवादीगण के द्वारा गैर कानूनी रूप से हम वादीगण के कब्जे एवं काश्त की आराजियात पर से हमें बेदखल करने तथा हमारी सम्पत्ति पर शमशान बनाने व रोड़ निकालने के आशय से मौके पर सफाई तथा जेसीबी से खुदाई प्रारम्भ कर दी है और शमशान बनाने व रोड़ निकालने पर आमदा हो रहे हैं और यदि प्रतिवादीगण ऐसा करने में कामयाब हो गये तो वादीगण एवं अन्य सह –खातेदारान के अधिकार प्रभावित होंगे। इसलिए वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित की जावे कि प्रतिवादीगण की उपर वर्णित कृषि आराजियात में से वादीगण को बेदलख ना करें तथा उपरोक्त आराजियात पर कोई शमशान व रोड़ आदि ना बनावे तथा इस बाबत कोई खुदाई आदि ना करें। अतः वाद पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा की डिकी पारित की जावे कि प्रतिवादीगण हम वादीगण की कब्जे एवं स्वामित्व की कृषि आराजियात ग्राम गणेशपुरा, पटवार हल्का डडवाड़ा, भू. अभि. निरी. लाडपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा जिसका खाता संख्या नया 17 व पुराना 19 की खसरा नम्बर 16 की रकबा 0.03 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 46 की रकबा 0.01 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 47 की रकबा 0.56 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 48 की रकबा 042 बारानी द्वितीय कुल किता 4 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर है व ग्राम भदाना, पटवार हल्का डडवाड़ा, भू अभि. निरी. लाड़पुरा तहसील लाडपुरा कोटा जिसका नया खाता संख्या 147 पुराना 133 की खसरा नम्बर 543/41 की रकबा 0.49 नहरी दोयम से वादीगण को बेदलख ना करें तथा उपरोक्त आराजियात पर कोई शमशान व रोड़ आदि ना बनावे तथा इस बाबत कोई खुदाई आदि ना करें तथा वादीगण को उपरोक्त सम्पत्ति के उपयोग–उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्ना ना करें।

वाद–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को तलब किया गया। बाद तलबी वादी के वाद–पत्र का प्रतिवादी कम 5 द्वारा जवाब दावा प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया गया है कि वाद पत्र किसी भी रूप मे अर्जेन्ट नेचर का नही है इस कारण प्रतिवादी कम 5 के खिलाफ धारा 98 यू0आई0टी0एक्ट का नोटिस दिये बिना वाद पत्र चलने योग्य नहीं है एवं वादीगण का वाद सव्यय निरस्त फरमाया जाने हेतु निवेदन किया गया है।

प्रतिवादी नं0 1 लगायत 4 की ओर से जवाब दावा पेश नही किया गया। अतः जवाब दावा का अवसर बंद किया गया।

वादीगण एवं प्रतिवादी नं0 5 की ओर से वाद पत्र पर बहस की गई। उभयपक्ष द्वारा वाद पत्र एवं जवाब दावा में अंकित कथनों को दोहराया गया। वादीगण द्वारा ग्राम गणेशपुरा, पटवार हल्का डडवाड़ा, भू. अभि. निरी. लाडपुरा तहसील लाड़पुरा जिला कोटा खाता संख्या नया 17 व पुराना 19 की खसरा नम्बर 16 की रकबा 0.03 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 46 की रकबा 0.01 हैक्टेयर बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 47 की रकबा 0.56 बारानी द्वितीय, खसरा नम्बर 48 की रकबा 042 बारानी द्वितीय कुल किता 4 कुल रकबा 1.02 हैक्टेयर है व ग्राम भदाना, पटवार हल्का डडवाड़ा, भू अभि. निरी. लाड़पुरा तहसील लाडपुरा कोटा नया

उपखण्ड अधिकारी
को.

खाता संख्या 147 पुराना 133 की खसरा नम्बर 543/41 की रकबा 0.49 नहरी दोयम से वादीगण को बेदखल ना करने तथा उपरोक्त आराजियात पर कोई शमशान व रोड़ आदि ना बनाये जाने का निवेदन किया है। वाद पत्र एवं जवाब वाद पत्र के अवलोकन से उभयपक्षकारान में मध्य विवादित आराजी की सीमा सम्बंधी विवाद होना प्रकट होता है। अतः वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है। वादीगण द्वार प्रस्तुत वाद पत्र स्वीकार कर उभयपक्षकारान को पाबंद किया जाता है कि उभयपक्षकारान अपने अपने हिस्से में दर्ज भूमि पर शांति पूर्वक काश्त करें एवं एक दूसरे की आराजी में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करें और न ही खुर्द बुर्द करने की काशिश करें। उभयपक्षकारान अपनी अपनी आराजी के सीमाज्ञान एवं सीमा निर्धारण के लिए तहसीलदार लाडपुरा के यहाॅ चाराजोरी करे।

उक्त निर्णय आज दिंनाकः 28/2/25 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा